राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 29/2024 अपील

कल्याण पुत्र हीरा खटीक निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. चन्द्रा पुत्र हीरा खटीक निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश राजमंदी बंटवाडा प्रकरण संख्या 185/2010 निर्णय दिनांक 07.12.2010

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01 – स्वयं उपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रजामंदी बंटवाडा प्रकरण संख्या 185/2010 निर्णय दिनांक 07.12.2010 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कान्दा पटवार हल्का कान्दा तहसील भीलवाडा मे आराजी नम्बर 2689/452, 370/1, 371, 452/9 कुल किता 4 रकबा 7.04 बीघा भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 व माता जमनी बेवा हीरा खटीक के नाम पर दर्ज थी। उक्त आराजियात का अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 के पिता हीरा खटीक द्वारा अपने जीवन काल में ही दोनो भाईयों के मध्य आपसी बाहमी बंटवाडा कर दिया तभी से दोनों भाई अपने अपने हक हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव हुआ, जो कि कब्जे अनुसार ही बंटवाडा चाहने व कब्जे अनुसार ही बंटवाडा करने का आदेश पारित किया गया है, लेकिन मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया हैं। कब्जे अनुसार बंटवाडा करने में किसी भी पक्षकार का अहित नही होगा व किसी भी पक्षकार का रकबा में परिवर्तन नही होगा किसी भी पक्षकार की भूमि की किस्म परिवर्तन नही होगी, यदि कब्जे अनुसार बंटवाडा नही

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया तो पक्षकारों के मध्य अनेका अनेक वाद विवाद उत्पन्न होगें। उक्त गलत तरीके से बंटवाडे की जानकारी अपीलार्थी का नही थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 3.7.24 को नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत बंटवाडे की जानकारी हुयी। उक्त अपील पेश करने में हुयी देरी के समय को कण्डोन करने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आपसी सहमति बंटवाडा निर्णय दिनांक 07.12.2010 को निरस्त करा, उक्त वर्णित आराजियात का समान हक हिस्से अनुसार कब्जे के आधार पर विभाजन करा, राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को तलबी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेष किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेष दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात का जो बंटवाडा प्रस्ताव हुआ, जो कि कब्जे अनुसार ही बंटवाडा चाहने व कब्जे अनुसार ही बंटवाडा करने का आदेश पारित किया गया है, लेकिन मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया हैं। कब्जे अनुसार बंटवाडा करने में किसी भी पक्षकार का अहित नही होगा व किसी भी पक्षकार का रकबा में परिवर्तन नही होगा, किसी भी पक्षकार की भूमि की किस्म परिवर्तन नही होगी, यदि कब्जे अनुसार बंटवाडा नही किया गया तो पक्षकारों के मध्य अनेका अनेक वाद विवाद उत्पन्न होगें। विपक्षी संख्या 01 द्वारा भी अपील मेमों अनुसार बंटवाडा किये जाने बाबत् निवेदन अपने जवाब में किया हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आपसी सहमति बंटवाडा निर्णय दिनांक 07.12.2010 को निरस्त करा, उक्त वर्णित आराजियात का समान हक हिस्से अनुसार कब्जे के आधार पर विभाजन करा, राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही तौर निर्णय पारित किया हैं जिसमे कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी कोई संषय हो तो प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनः जांच कर नये सिरे से निर्णय नियमानुसार किया जा सकेगा। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि, प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में अंकन किया कि उक्त प्रकरण में अपील की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का समान हक हिस्से अनुसार कब्जे अनुसार विभाजन कर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के बंटवाडा प्रकरण संख्या 185/2010 निर्णय दिनांक 07.12.2010 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्ररकण में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 के हक हिस्से एवं कब्जे की सम्पूर्ण जांच कर एवं उभयपक्षों की उपस्थिति में अजसिरे निर्णय पारित किया जाये। उक्तानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के बंटवाडा प्रकरण संख्या 185/2010 निर्णय दिनांक 07.12.2010 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि, प्ररकण में अपील मेमों की चरण सख्या 01 में वर्णित आराजियात का अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 के हक हिस्से एवं कब्जे की सम्पूर्ण जांच कर एवं उभयपक्षों की उपस्थिति में अजसिरे निर्णय पारित किया किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा